उत्तर पश्चिम रेलवे

राजभाषा विभाग

उत्तर पश्चिम रेलवे पर राजभाषा विभाग मुख्य राजभाषा अधिकारी के नेतृत्व तथा नियंत्रण में कार्यरत है। इस संगठन द्वारा संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, अनुवाद तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। रेलों पर जहां आए दिन नई प्रौद्योगिकी का समावेश होता रहता है, ऐसे में भी राजभाषा विभाग मानदंडों को कार्यान्वित करने के भरसक प्रयत्न कर रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे का संपूर्ण कार्यक्षेत्र 'क' क्षेत्र में आता है। हमारे यात्रियों/ग्राहकों को यात्रा के दौरान कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आवश्याकहो जाता है कि यहां का सारा काम हिंदी में किया जाए। हालांकि यहां कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में प्रशिक्षित है तथा हिंदी में काम करने में सक्षम हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर पश्चिम रेलवे पर राजभाषा नियम 1976 के नियम 10.4 के अनुसरण में 592 कार्यालय अधिसूचित हो चुके हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे पर राजभाषा संबंधी संगठनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यालय/मंडल का नाम	वराधि	राधि	वरिष्ठय अनुवादक	कनिष्ठ अनुवादक
1	प्रधान कार्यालय	01	02	03	03
2	जयपुर मंडल	-	01	01	05
3	अजमेर मंडल	-	01	01	05
4	जोधपुर मंडल	01	-	01	05
5	बीकानेर मंडल	-	01	01	05
6	मु.का.प्र., अजमेर	- -		01	01
7	मु.का.प्र., जोधपुर	-	-	-	01
8	मु.का.प्र., बीकानेर	-	-	01	-
9	उप मुसाप्र, अजमेर	-	-	01	-
10	उप मुसाप्र, जोधपुर	-	-	-	-
11	रे भ बो, अजमेर	-	-	-	01
12	क्षे रे प्र सं, उदयपुर	-	-	-	02
13	रेल दावा अधिकरण, जयपुर	-	-	-	01

14	मुख्यो प्रशासनिक अधिकारी /नि*	-	01	01	-
	योग	02	06	11	29

*टिप्पणी : राधि एवं वरिष्ठ अनुवादक का पद वर्क चार्ज पद है।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

प्रधान कार्यालय

1. क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
2. मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

जयपुर मंडल

1. मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर
2. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सीकर
3. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर
4. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अलवर
5. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फुलेरा
6. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बांदीकुई
7. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रेवाडी

अजमेर मंडल

1. मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर
2. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर
3. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मारवाड
4. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आबूरोड
5. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उदयपुर सिटी
6. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राणा प्रताप नगर
7. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भीलवाडा
8. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मावली
9. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डूंगरपुर
10. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सोजतरोड
11. रेलवे भर्ती बोर्ड, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर
12. उप सामग्री प्रबंधक कार्यालय, अजमेर

13. कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर
14. क्षेरेप्रसं.,राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उदयपुर
15. यातायात लेखा राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर

जोधपुर मंडल

1. मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति ,जोधपुर
2. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जैसलमेर
3. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोधपुर
4. राजभाषा कार्यान्वयन समिति ,डीजल शेड भगत की कोठी
5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति उ प रे अस्पताल, जोधपुर
6. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागौर
7. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मेडता रोड
8. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मकराना
9. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बाडमेर
10. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, समदडी
11. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति,लूणी जं.
12. कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोधपुर
13. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति,डेगाना
14. यातायात लेखा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोधपुर

बीकानेर मंडल

1. मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बीकानेर
2. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बीकानेर
3. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति ,लालगढ
4. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति सूरतगढ
5. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार
6. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिरसा
7. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति,हनुमानगढ

8. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति ,श्री गंगानगर
9. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति ,रतनगढ
10. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति ,चुरू
11. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति सादुलपुर
12. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति ,भिवानी
13. कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बीकानेर

टिप्पणी - क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक, मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मुख्य राजभाषा अधिकारी, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंडल रेल प्रबंधक, कारखाना समितियों के मुख्य कारखाना प्रबंधक तथा स्टेशनों व मंडलेत्तर कार्यालयों की समितियों के शीर्ष अधिकारी अध्यक्ष होते हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे पर पुस्तकालयों की स्थिति

मुख्यालय स्तर पर		मंडल स्तर पर		कारखाना/कार्यालय स्तर पर	
मुख्यालय	01	जयपुर	9	मु.का.प्र., अजमेर	05
		बीकानेर	11	मु.का.प्र., जोधपुर	01
		जोधपुर	8	मु.का.प्र., बीकानेर	01
		अजमेर	12	उप मुसाप्र, अजमेर	01
				क्षेरे प्र सं, उदयपुर	01
				उपमुसाप्र, जोधपुर	01
कुल	1		40		10

टिप्पणी- सभी पुस्तकालयों में वाचनालय की व्यवस्था भी है। कर्मचारी यहां बैठकर पत्र-पत्रिकाए पढ़ सकते हैं तथा पुस्तकें जारी भी करवा सकते हैं।

प्रशिक्षण की स्थिति

इस रेलवे पर सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हैं जिनकी स्थिति निम्नानुसार है:-

मंडल/कार्यालय	हिंदी भाषा प्रशिक्षण				हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक		हिंदी टाइपिंग में प्रशिक्षण	
	अधिकारी		कर्मचारी					
	कुल	प्रशिक्षित	कुल	प्रशिक्षित	कुल	प्रशिक्षित	कुल	प्रशिक्षित
प्रधान कार्यालय	190	190	954	954	49	49	10	10
जयपुर मंडल	73	73	6792	6792	18	18	17	17
अजमेर मंडल	68	68	5443	5443	20	20	37	37
जोधपुर मंडल	64	64	9752	9752	22	22	18	18
बीकानेर मंडल	61	61	6988	6988	12	12	16	16
मु.का.प्र., अजमेर	25	25	6135	6135	13	13	21	21
मु.का.प्र., जोधपुर	10	10	418	418	02	02	04	04
मु.का.प्र., बीकानेर	05	05	59	59	01	01	-	-
उप मुसाप्र, अजमेर	09	09	359	359	02	02	03	03
रे भ बो, अजमेर	03	03	09	09	01	01	05	05
क्षेरेप्रसं, उदयपुर	04	04	77	77	02	02	09	09
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण	104	104	237	237	06	06	12	12

पत्रिका प्रकाशन-

अधिकारियों तथा कर्मचारियों में सृजनशीलता पैदा करने तथा हिंदी के प्रति उत्साहित करने की दृष्टि से उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय से नियमित रूप से 'मरूधरा' नामक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है।

राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान भाग-5 (120), भाग 6 (210) और भाग 17

भाग-5 (120) संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधन करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चाकतयह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि या अंग्रेजी में ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हो।

भाग 6 (210) विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

   परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधन करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

2. जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चाततयह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" यह शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हों।

"परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले " पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिये गये हों।

भाग-17 संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीनय रूपहोगा।
2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी। परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीरय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उक्त पंद्रह साल की कालावधि के पश्चामत- क. अंग्रेजी भाषा का अथवा, ख. अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति

अनुच्छेद 344

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चा त ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्ति करे

तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के भी आदेश परिभाषित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 344(1) में किये गये प्रावधान के अनुसार संविधान के आरंभ होने से 5 वर्ष बाद 2995 में श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। आयोग का उद्देश्या संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग और संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा और प्रयोग आदि के संबंध में सिफारिश करना था। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 344(4) के अधीन 1957 में एक संसदीय समिति (जिसमें लोक सभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल थे) का गठन किया गया। तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत इस समिति के अध्यक्ष थे इस समिति ने 8 फरवरी, 1959 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। आयोग तथा समिति, दोनों ने सिफारिश की कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहे। लेकिन संघ के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढाने के लिए कदम उठाये जायें। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 27 अप्रैल, 2960 को राष्ट्रपति जी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया तथा संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया।

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 345

अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा।

परन्तु जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबंधन करें तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा

अनुच्छेद 346

संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी।

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 347

यदि इस निमित्त मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जैसा कि वह उल्लिखित करें, राजकीय मान्यता दी जाए।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियामों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 348

1. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक-

क. उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां,

ख. जो-

1. विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में अथवा राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनस्थापित किए जाएं उन सब के प्राधिकृत पाठ।
2. अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किये जाएं तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाएं उन सब के प्राधिकृत पाठ तथा
3. आदेश , नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्यों के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जाएं उन सब के प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड 1 के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिंदी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

परंतु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने उस विधान मंडल में पुर्नस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश में अथवा उस उपखंड की खंडिका (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 349

इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खंड (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करनेवाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुर्नस्थापित या प्रस्तावित नही किया जाएगा तथा ऐसे

किसी विधेयक के पुर्नस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा उस अनुच्देद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रपति देगा।

व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषाएं

अनुच्छोद350

किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

अनुच्छेद 351

हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां तक आवश्येक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

अष्टम अनुसूची की भाषाएं

(अनुच्छेद 344 (1) और 351)

1 असमिया	2 उड़िया	3 उर्दू
4 कन्नड़	5 कश्मीारी	6 गुजराती
7 तमिल	8 तेलुगू	9 पंजाबी
10 बंगला	11 मराठी	12 मलयालम
13 संस्कृत	14 सिंधी	15 हिंदी

16 नेपाली 17 कोंकणी 18 मणिपुरी

19 बोडो 20 संथाली 21 डोगरी

22 मैथिली

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967)

(1963 का अधनियम सं. 19)

(10 मई, 1963)

उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चैदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अनियिमित हो-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा।

2. धारा 3, जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

क. नियम दिन से धारा 3 क संबंध में जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है।

ख. हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना

1. संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही-

क. संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी तथा

ख. संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी।

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी भाषा के रूप् में नही अपनाया है पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी।

परंतु यह और कि ,जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नही अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा।

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

3. उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा-

1. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच,

2. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच,

3. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच,

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारीवृंद हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा-

4. उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

1. संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किये जाते हैं,

2. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए,

3. केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी।

4. उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार, धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन

के लिए, जिसके अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गये नियम विषिष्टतया यह सुनिश्चत करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप् से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नही हैं उनका कोइ अहित नहीं होता है।

5. उप धारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उप धारा (2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्य के विधान मंउलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी भाषा के रूप् में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिये जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चाहत ऐसे समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के संबंध में समिति

1. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने पर गठित की जाएगी।
2. इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश्: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
3. इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।
4. राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किये हों तो उन पर विचार करने के पश्चारत उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा।

परंतु इस प्रकार निकाले गये निर्देश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

5. केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

1. नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

क. किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा

ख. संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का- हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

2. नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुर्नस्थापित किये जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद-

जहां किसी राज्य के विधान मंडल में उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्य पाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चाततप्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग-

नियत दिन से ही या तत्पश्चा त किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न ऐसी किसी भाषा में

पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति

1. केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

2. इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चालतयथाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक पश्चारतवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चा त यथास्थिति वह नियम ऐसे उपंतरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किंतु इस प्रकार कि ऐसे कोई उपंतर या बातलिकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

9. कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीपसर लागू न होना

धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू-कश्मीलराज्य् को लागू न होंगे।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, प्रयोग) नियम, 1976

सा.का. नि. 1052 - राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा 4 के साथ गठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

1. इस नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए,प्रयोग) नियम, 1976 है।

2. इनका विस्तार, तमिलनाडू राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

3. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

क. अधिनियम से राजभाषा अधिनियम, 1963(1963 का 19) अभिप्रेत है,

ख. केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात

1. केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग का कार्यालय

2. केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

3. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय

ग. कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

घ. अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है,

च. हिंदी में प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है,

छ. **क्षेत्र "क"** से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है,

ज. **क्षेत्र "ख"** से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है,

झ. **क्षेत्र "ग"** से खंड च और छ में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है,

ट. **हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान** से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते है तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से-

क. क्षेत्र 'क ' में से किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ही सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

ख. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से

क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उपनिमय 1 और 2 में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र ग में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या क्षेत्र ' ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच पत्रादि-

क. केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं,

ख. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने

वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुशंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करें,

ग. क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड क या खंड ख में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न है, पत्रादि हिंदी में होंगे,

घ. क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

ड क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते है परंतु जहां ऐसे पत्रादि-

1. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यदक्हो तो , उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा,

2. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा।

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसे अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नही की जाएगी।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर-

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

6. हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 3 में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती है।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उप नियम 1 में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी है) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना-

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नही की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
2. केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति की है, अन्यथा नहीं।
3. यदि यह प्रश्नि उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनकी प्रकृति की है या नही तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चवय करेगा।
4. उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, ओदश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणत प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिंदी में प्रवीणता-यदि किसी कर्मचारी ने-

क. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या

ग. यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान-

1. क. यदि किसी कर्मचारी ने-

1. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

2. केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है जब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

3. केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

ख. यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारुप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नही।

4. केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उप नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथा स्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
2. केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी होंगे।
3. केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होगी।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यंक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व-

1. केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-

1. यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है, और
2. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

3. केंद्रीय सरकार के अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यदक्तनिदेश जारी कर सकती है।

.....